राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं क्राइम कंट्रोल ब्यूरो तक पहुंचा मामला

छुट्टियों में कक्षाएं लगाना तर्कसंगत नहीं : हसला

कुरुक्षेत्र, 1 जनवरी (हप्र)

हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) ने शिक्षा विभाग द्वारा शीतकालीन अवकाश में 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों की कक्षाएं लगाने के फैसले को अतार्किक बताया है। एसोसिएशन के राज्य उपप्रधान डॉ. तरसेम कौशिक ने कहा कि हसला संगठन द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखकर शीतकालीन अवकाश में कक्षाएं न लगाने का अनुरोध किया गया है। विद्यार्थियों के हित में सभी शिक्षक ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने के लिए तैयार हैं। कौशिक ने बताया कि हरियाणा सहित उत्तर भारत में इस समय प्रचंड शीतलहर चल रही है तथा घना कोहरा छाया रहता है। ऐसे मौसम में विद्यालयों में जाकर पढ़ाई करना केवल समय की बर्बादी है, क्योंकि शीतलहर में न तो शिक्षार्थी ठीक ढंग से पढ़ पाएंगे तथा न ही शिक्षक ठीक से पढ़ा पाएंगे। शिक्षा विभाग द्वारा हर वर्ष भीषण सर्दी व शीतलहर को देखते हुए 1 जनवरी से 15 जनवरी तक अवकाश घोषित किया जाता है ताकि विद्यार्थी घर पर ही रहकर विद्यालय में करवाए गए पाठ्यक्रम की दोहराई कर सकें।

कौशिक ने कहा कि शिक्षा विभाग फौरी तौर पर विद्यार्थियों की पढ़ाई की चिंता करता है, परंतु जमीनी हकीकत कुछ और है। ट्रांसफर ड्राइवर की वजह से बहुत से विद्यालयों में शिक्षक नहीं है तथा इसके अतिरिक्त ज्यादातर शिक्षकों की ड्यूटी पीपीपी में लगी हुई है। नवंबर-दिसंबर माह में प्राध्यापकों व अध्यापकों को शिक्षा विभाग द्वारा गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझाए रखा। शीतकालीन अवकाश के दौरान शिक्षकों के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होते है। शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं तथा 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट्स प्रदान किए गए हैं तथा विद्यार्थियों को टैबलेट के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। अतः विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग को शीतकालीन अवकाश के दौरान कक्षाएं लगाए जाने के अव्यावहारिक फैसले को वापस लेकर विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने का पत्र जारी करना चाहिए।

क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के प्रदेश उपाध्यक्ष बोले

राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवीर दुल ने बताया कि हर वर्ष सर्दी में हरियाणा में 15 दिन तक छुट्टियां होती हैं, लेकिन इस बार सरकार ने 28 दिसंबर को आदेश जारी करते हुए 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सभी अभिभावक, शिक्षक तथा बच्चों के स्वास्थ्य कड़ी सर्दी धुंध व मानसिक दबाव से परेशानी भरा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने आज 10वीं व 12वीं की रद्द की गई छुट्टियों के सरकार के निर्णय बारे में सरकार व उच्चाधिकारियों को लिखित में दिया है और इस बारे में राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं क्राइम कन्ट्रोल बोर्ड को भी लिखा है। दुल ने बताया कि उन्होंने यह मामला क्राइम कन्ट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष को भेजकर निवेदन किया है कि वे इस बारे में दखल दें।

Death Of 8 Infants In Koraput s Borigumma: NHRC Seeks Action Taken Report

https://pragativadi.com/death-of-8-infants-in-koraputs-borigumma-nhrc-seeks-action-taken-report/

The National Human Rights Commission (NHRC) on Saturday sought an action taken report from the State government in connection with the death of eight infants in Koraput district.

The NHRC has asked Odisha chief secretary and health secretary to submit the report within 4 weeks.

The NHRC’s response comes in wake of a petition filed by human rights activist Akhanda who brought to notice the infants’ death cases in Katharagada panchayat of Borrigumma block of Koraput this month.

JKPM convenor elected

https://www.greaterkashmir.com/todays-paper/kashmir-todays-paper/jkpm-convenor-elected

Faiz Bakshi a prominent environmental activist and convenor Environment Policy Group (EPG) has been elected unopposed as Chairman J&K Peoples Forum.

In a statement, JKPM general secretary M.M Shuja said that after the death of Chairman JKPF Syed Nassarullah Shah, the post was vacant. “It was the last wish of Syed Nassarullah Shah to forum members that after his death Faiz Bakshi should be appointed as Chairman JKPM.

It is pertinent to mention that JKPM is a well known civil-society group and the Forum has filed more than twenty Public Interest Litigations (PIL’s) in the High Court of J&K and Ladakh about various Public issues.

Besides, some petitions are pending in the Central Information Commission (CIC), National Human Rights Commission (NHRC) as well as in the Supreme Court of India.

Bihar Poisonous Liquor: दिल्ली क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा बिहार में जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड

https://zeenews.india.com/hindi/india/bihar-jharkhand/patna/mastermind-of-poisonous-liquor-case-in-bihar-arrested-by-delhi-police-crime-branch-in-delhi/1508940

बिहार में 2016 से लागू शराबबंदी के बाद से नकली शराब बनाने वाले और बेचने वालों की तादाद वहां तेजी से बढ़ी और यही वजह रही कि जहरीली शराब पीने से बिहार में इन सालों में बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवाई. बिहार के छपरा और गोपालगंज में हाल में ही जहरीली शराब से मौत के आंकड़े ने हाहाकार मचा दिया. इस सब के बाद बिहार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर सक्रिय हो गई और लगातार इस मामले में धड़पकड़ की जा रही है.

अब आपको बता दें कि छपरा जहरीली शराब कांड (Chhapra Hooch Tragedy) मास्टरमाइंड को दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है और इसकी सूचना बिहार पुलिस को दे दी है. दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े छपरा जहरीली शराब कांड के मास्टमाइंड का नाम राम बाबू महतो (35) है.

इस गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से इसकी सूचना बिहार पुलिस को भेजी गई है. गिरफ्तार आरोपी के बारे में बताया जा रहा है कि जिस शराब को पीकर इतनी बड़ी संख्या में छपरा में लोगों ने अपनी जान गंवाई उस शराब में केमिकल डालकर उसे इसी ने तैयार किया था. आपको बता दें कि इसी जहरीली शराब की वजह से छपरा में 78 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी.

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छपरा जहरीली शराब कांड के मास्टमाइंड राम बाबू महतो को द्वारका से गिरफ्तार किया और इसकी सूचनाबिहार पुलिस को दी गई. इसके बाद आरोपी राम बाबू को अपने साथ बिहार ले जाने के लिए बिहार पुलिस की टीम दिल्ली पहुंची है.इस मास्टरमाइंड राम बाबू पर आरोप है कि वह होमियोपैथिक दवा से शराब बनाता था.इसके बाद बिहार में जहरीली शराब से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई, इस मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान भी लिया था.

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस गिरफ्तार आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है. इस मामले में बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच बेहतरीन सामंजस्य देखने को मिला जिसका नतीजा है कि आरपी राम बाबू महतो आज पुलिस की गिरफ्त में है.

Naseema Khatoon s journey as a human rights defender

https://www.newindianexpress.com/good-news/2023/jan/01/naseema-khatoonsjourneyas-a-human-rights-defender-2533535.html

The spent her childhood witness to the dark reality of a red light area in Bihar's Muzaffarpur but she always wanted to chart a different course for herself. Now, she is a member of the National Human Rights Commission (NHRC)'s core group on NGOs and a 'human rights defender'. Naseema Khatoon's success demonstrates her indomitable spirit, fighting all odds to carve a niche for herself in this tough world.

Naseema was born in the red light area of Bihar's Muzaffarpur, known as 'Chaturbhuj Asthan'. Her father who had a tea stall nearby was adopted by a sex worker as a boy as she herself was brought up by the grandmother.She was given a new life in 1995, when IAS officer Rajbala Verma launched alternate programmes for sex workers and their families. Naseema got herself enrolled in one such programme, called "Better Life Option", earning up to 'Rs 500 a month for crochet work.

Inspired by her success, she started running awareness programmes on the rights of marginalised workers, legal awareness and educational programmes.It is her constant endeavour that attracted the attention of NHRC which nominated her to its advisory group. Naseema gives credit to her elders and community for getting the recognition and responsibility to fight for the rights of marginalised people at the national level. She said, "Disadvantaged people of our community are now coming forward and fighting for their rights."

Naseema had a chance meeting with a social worker in a conference in 2003 and later she married him in 2008. Her husband is from Jaipur and now she has a son too.But she always wanted to do something different as she launched a handwritten magazine, 'Jugnu' in 2004. This magazine publishes handwritten articles from the children of sex workers, who cover stories related to sex workers and rape victims, interviews and other similar issues. Children also edit the 32-page magazine, which is published from Muzaffarpur.

Naseema, who is presently doing her BA from Indira Gandhi National Open University, is founder secretary of an NGO which works to protect sex workers and their families from police atrocities. Naseema also took up the cudgels for providing better employment opportunities to women in the area in collaboration with District Industries Centre manager Dharmendra Kumar Singh under the chairmanship of Muzaffarpur District Magistrate Pranav Kumar. The women here have come forward to work on stitching by forming an organization called the Zohra Promotion Group, and the Jugnu Ready Made Garment.

"I have yet to attend my first meeting as a member of the NHRCs advisory group but I have some suggestions up my sleeve," she remarked."NHRC and other government bodies have made arrangements for the protection of human rights but they need to be simplified and should be made transparent so that victims of human rights violations can

take benefits of them in a hassle-free manner," Naseema who is excited about her new role remarked.

She said that there is a WhatsApp number to lodge a complaint related to the human rights violation of human rights but many victims were unaware of it and even if they knew it, they found it difficult to lodge complaints and complete other necessary formalities.Naseema said that the advisory committees constituted at the organisation level or government level to check exploitation at places of occupation have also remained on paper.

"A female employee of a reputed company complained to her employer about a rape bid made by her colleagues but the advisory committee constituted at the organisation level hushed up the case by assuring that the accused will be transferred to a remote area," she said.

Odisha News कोरापुट में 8 नवजात शिशुओं की मौत पर NHRC ने जताई नाराजगी जारी किया नोटिस..

https://www.jagran.com/odisha/bhubaneshwar-national-human-rights-commission-expressed-displeasure-over-death-of-8-newborns-in-koraput-issued-notice-23278355.html

ओडिशा के कोरापुट के बोरिगुम्मा में 8 नवजात शिशुओं की मौत को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के मुख्य प्रशासनिक सचिव और स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी किया है। इस संदर्भ में आयोग ने दोनों से रिपोर्ट मांगी है। मानवाधिकार आयोग ने 4 सप्ताह के भीतर एक्शन रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने का निर्देश दिया है। गौतरलब है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता अखंड ने कोरापुट बोरीगुम्मा में 8 नवजात शिशुओं की मौत के संबंध में मामला दर्ज कराया था। इसके बाद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उपरोक्त कदम उठाए हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने जनजातीय क्षेत्रों में उचित स्वास्थ्य देखभाल और उपचार की कमी के कारण नवजात शिशुओं की मौत पर चिंता व्यक्त की है। कोरापुट जिले के बोरीगुम्मा ब्लॉक के विभिन्न गांवों में दिसंबर के पहले दो हफ्तों में आठ नवजात शिशुओं की मौत से जुड़े एक मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने मुख्य प्रशासनिक सचिव और स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस संबंध में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में एक एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

याचिका में इन मौतों का जिक्र

मानवाधिकार कार्यकर्ता अखंड ने एनएचआरसी में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि बोरीगुम्मा प्रखंड के काठरगडा पंचायत के नुआगुड़ा गांव में गत तीन दिसंबर को दो लड़कों की मौत हो गई थी। इसमें से एक शिशु दो महीने का था और दूसरा जन्म के दो दिनों के भीतर मर गया। बाद में उसी सप्ताह, शशाहांडी गांव में एक बच्चे की मौत हो गई। 13 को बालीगुड़ा और नारीगांव में दो बच्चों की मौत हो गई थी एवं उसी रात बिबलीगुड़ा गांव के एक बच्चे की मौत हो गई थी। ज्यादातर बच्चों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इन सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में उचित स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण इतनी खराब स्थिति उत्पन्न हुई है।

मातृ एवं शिशु देखभाल केंद्रों में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण शिशुओं की समय से पहले मृत्यु हो रही है। इन सभी मौतों की जांच नहीं की गई है। अखंड ने आरोप

लगाया कि सरकार विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा देने की बात करती है मगर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में विफल रही है।

वहीं इस संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य प्रशासनिक सचिव और स्वास्थ्य सचिव को चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। आयोग ने दोनों से रिपोर्ट के जरिए पूछा है कि आखिर याचिका में उल्लिखित शिकायतों पर विचार करते हुए इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं।

वहीं अखंड ने आयोग से अपील की कि मृत बच्चों के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाए। साथ ही उन्होंने विशेषज्ञों के जरिए शिशुओं के मृत्यु के कारण का पता लगाने, आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए अपनी टीम भेजने के लिए निवेदन किया है।

10 Bhopal gas tragedy survivors end fast after getting govt assurance

https://www.newindianexpress.com/nation/2023/jan/01/10-bhopal-gas-tragedy-survivors-end-fast-after-getting-govt-assurance-2533698.html

Ten women survivors of the 1984 Bhopal Gas Tragedy demanding additional compensation for the disaster victims have called off their hunger strike after getting positive response from both the Madhya Pradesh and Union governments, their leaders said.

They had launched the hunger strike at Neelam Park in the state capital on Friday.

The ten women agitators broke their 29-hour-long fast on Saturday with fruit juice offered by officials of the state government and district administration.

The Bhopal Gas Tragedy took place on the intervening night of December 2-3, 1984 when poisonous methyl isocyanate gas leaked from the Union Carbide pesticide factory in Bhopal, leaving several thousand people dead and lakhs injured.

Five organisations which are fighting for the cause of the Gas Tragedy victims in a statement on Saturday said the Madhya Pradesh Minister of Bhopal Gas Tragedy Relief & Rehabilitation expressed agreement with the facts and figures presented by them and promised to finalise details in a meeting on January 4.

Earlier, the Union government had assured that all the documents put forth by them would be included in the papers to be presented before the Supreme Court bench hearing a curative petition for additional compensation, they said.

"Despite all odds and many disappointments of the last 38 years, we hope the New Year has begun with a hope for the survivors of the world's worst industrial disaster," the statement said.

The agitators were from the Bhopal Gas Peedit Mahila Stationery Karmchari Sangh, Bhopal Gas Peedit Nirashrit Pensionbhogee Sangharsh Morcha, Bhopal Group for Information & Action, Bhopal Gas Peedit Mahila Purush Sangharsh Morcha and Children Against Dow Carbide.

मानवाधिकार रक्षक के रूप में नसीमा खातून की यात्रा

https://jantaserishta.com/local/bihar/naseema-khatoons-journey-as-a-human-rights-defender-1883853

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक लाल बत्ती क्षेत्र की अंधेरी सच्चाई के लिए अपना बचपन देखा, लेकिन वह हमेशा अपने लिए एक अलग रास्ता तय करना चाहती थी। अब, वह एनजीओ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के कोर ग्रुप की सदस्य और एक 'मानवाधिकार रक्षक' हैं। नसीमा खातून की सफलता इस कठिन दुनिया में खुद के लिए एक जगह बनाने के लिए सभी बाधाओं से लड़ते हुए, उनकी अदम्य भावना को प्रदर्शित करती है।

नसीमा का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया में हुआ था, जिसे 'चतुर्भुज स्थान' के नाम से जाना जाता है। उसके पिता, जिनकी पास में एक चाय की दुकान थी, को एक यौनकर्मी ने एक लड़के के रूप में गोद लिया था क्योंकि वह खुद दादी द्वारा पाला गया था। उन्हें 1995 में एक नया जीवन दिया गया था, जब आईएएस अधिकारी राजबाला वर्मा ने यौनकर्मियों और उनके परिवारों के लिए वैकल्पिक कार्यक्रम शुरू किया था। . नसीमा ने खुद को ऐसे ही एक कार्यक्रम में नामांकित किया, जिसे "बेहतर जीवन विकल्प" कहा जाता है, जो क्रोशिया के काम के लिए प्रति माह 500 रुपये तक कमाता है।

नसीमा खातून के दौरान

2019 से TEDx टॉक्स इवेंट

उनकी सफलता से प्रेरित होकर, उन्होंने वंचित श्रमिकों के अधिकारों, कानूनी जागरूकता और शैक्षिक कार्यक्रमों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने शुरू कर दिए। यह उनका निरंतर प्रयास था जिसने एनएचआरसी का ध्यान आकर्षित किया जिसने उन्हें अपने सलाहकार समूह में नामांकित किया। नसीमा अपने बुजुर्गों और समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर हाशिए के लोगों के अधिकारों के लिए मान्यता और जिम्मेदारी पाने का श्रेय देती हैं। उन्होंने कहा, "हमारे समुदाय के वंचित लोग अब आगे आ रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।"

नसीमा को 2003 में एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ एक सम्मेलन में मिलने का मौका मिला और बाद में उन्होंने 2008 में उससे शादी कर ली। उनके पति जयपुर से हैं और अब उनका एक बेटा भी है। लेकिन वह हमेशा कुछ अलग करना चाहती थीं क्योंकि उन्होंने एक हस्तलिखित पत्रिका लॉन्च की थी। 2004 में 'जुगनू'। यह पत्रिका यौनकर्मियों के बच्चों के हस्तलिखित लेख प्रकाशित करती है, जो यौनकर्मियों और बलात्कार पीड़ितों से संबंधित कहानियों, साक्षात्कारों और इसी तरह के अन्य मुद्दों को कवर करते हैं। बच्चे मुजफ्फरपुर से प्रकाशित होने वाली 32 पेज की पत्रिका का संपादन भी करते हैं।

नसीमा, जो वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से बीए कर रही हैं, एक एनजीओ की संस्थापक सचिव हैं, जो यौनकर्मियों और उनके परिवारों को पुलिस अत्याचार से

बचाने के लिए काम करती है। नसीमा ने मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक धर्मेंद्र कुमार सिंह के सहयोग से क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का भी बीड़ा उठाया. यहां की महिलाएं जोहरा प्रमोशन ग्रुप और जुगनू रेडी मेड गारमेंट नामक संस्था बनाकर सिलाई के काम के लिए आगे आई हैं।

उन्होंने टिप्पणी की, "मैंने अभी तक एनएचआरसी के सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में अपनी पहली बैठक में भाग नहीं लिया है, लेकिन मेरे पास कुछ सुझाव हैं।" "एनएचआरसी और अन्य सरकारी निकायों ने मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की है, लेकिन उन्हें सरलीकृत और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए ताकि मानवाधिकारों के उल्लंघन के शिकार लोग परेशानी मुक्त तरीके से उनका लाभ उठा सकें," नसीमा जो अपनी नई भूमिका के बारे में उत्साहित हैं।

उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर है लेकिन कई पीड़ित इससे अनजान थे और अगर उन्हें यह पता भी था, तो उन्हें शिकायत दर्ज करने और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने में मुश्किल होती थी। नसीमा ने कहा कि कब्जे वाले स्थानों पर शोषण रोकने के लिए संगठन स्तर या शासन स्तर पर गठित सलाहकार समितियां भी कागजों पर ही रह गई हैं।

"एक प्रतिष्ठित कंपनी की एक महिला कर्मचारी ने अपने नियोक्ता से अपने सहयोगियों द्वारा की गई बलात्कार की बोली के बारे में शिकायत की, लेकिन संगठन स्तर पर गठित सलाहकार समिति ने यह आश्वासन देकर मामले को दबा दिया कि आरोपी को एक दूरस्थ क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा," उसने कहा।